अति महत्वपूर्ण

संख्या-4580 /नौ-1-11-119रिट /2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **समस्त नगर आयुक्त**
   नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त अधिशासी अधिकारी**
   नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2011

विषयः स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यों के प्रबंधन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबधित शासकीय पत्र सं0 4148/9.1.11-238सा/2011, दिनांक 13.11.2011 एवं अनुवर्ती पत्र सं0 4182/9.1.11-238सा/2011, दिनांक 16.11.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8(4) तथा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10-ए(4) के अन्तर्गत कमशः नगर निगमों तथा नगरपालिका परिषदों / नगर पंचायतों में प्रशासक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये थे।

2. उक्त आदेशों के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 67467/ 2011 अजमल खां उर्फ छोटे बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0 65013/2011 अनुग्रह नरायन सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा अन्य सहबद्व रिट याचिका सं067991/2011 आशुतोष वार्ष्णेय बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0 69796/2011 हरिनाथ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयीं। जिनमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कमशः आदेश दि0 30.11.2011 तथा दि0 13.12.2011 पारित किया गया। इसी प्रकार उक्त आदेशों के विरूद्व मा0 उच्च

न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका सं0 11226/2011 संदीप उर्फ संदीप महरोत्रा व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0 11260/2011 हरि प्रताप सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0 11108/2011 रमेश कपूर व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0 11162/2011 पलटू दास व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य योजित की गयीं जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दि0 15.11.2011 तथा दि0 05.12.2011 पारित किया गया।

3. उक्त संदर्भित रिट याचिका सं0 11226/2011 संदीप उर्फ संदीप महरोत्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0 11108/2011 रमेश कपूर व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दि0 05.12.2011 के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 34436/2011 उ0प्र0राज्य व अन्य बनाम संदीप उर्फ संदीप मेहरोत्रा एवं 34711/2011 उ0प्र0राज्य व अन्य बनाम रमेश कपूर व अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दि0 13.11.2011 पारित किया गया।

4. मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ ने संदीप उर्फ संदीप मेहरोत्रा व अन्य में पारित आदेश दि0 05.12.2011 में प्रशासक की व्यवस्था संबधी उ0प्र0अधिनियम सं0 23 सन् 2005 को असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करते हुए नगर निगमों तथा नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के प्रबंधन हेतु कार्यकारिणी समिति के पर्यवेक्षण में क्रमशः नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त-संदर्भित विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित आदेश दि0 13.12.2011 में प्रशासक की व्यवस्था से संबधित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अनुग्रह नरायण सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य से सहबद्व रिट याचिका सं0 सं0 67991/2011 आशुतोष वार्ष्णेय बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.12.2011 के अनुसार याची (महापौर, नगर निगम, अलीगढ़) अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

5. इस प्रकार मा0 उच्च्य न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त संदर्भित आदेशों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:

1. निकायों के कार्यावधि की गणना उनके गठन के पश्चात् शपथ ग्रहण की तिथि के उपरांत आहूत प्रथम बैठक की तिथि से की जायेगी।
2. निकायों की कार्यावधि के उपरांत, जिलाधिकारी द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम (नगर निगम, अलीगढ़ को छोड़कर) तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को निकायों के कार्य संचालन का दायित्व सौंप दिया जाये।

3. निकाय की कार्यकारिणी समिति बहुमत के द्वारा नगर आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों को परामर्श दे सकेगी एवं यह समिति नागरिकों के लिए दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करेगी। ऐसा करने में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक/ मानदेय/भत्ता देय नहीं होगा। नगरपालिका परिषदों /नगर पंचायतों के संबध में कार्यकारिणी समिति का आशय निकाय के बोर्ड से होगा।
4. नगर निगम अलीगढ़ के महापौर अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित होने तक महापौर पद पर बने रहेंगे।

6. मुझे यह भी कहना है कि उक्त निर्देश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिकाओं तथा संबधित रिट याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

7. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

सं0 4580 (1)/9.1.2011, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. **आयुक्त**, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), लखनऊ।
2. **महानिबंधक**, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा **निबंधक**, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3. **समस्त मण्डलायुक्त**, उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निकायों के प्रशासक के कार्यभार ग्रहण करने संबधी उक्त संदर्भित शासनादेश दि0 13. 11.2011 एवं दि0 16.11.2011 के कम में यथा निर्देश नगर आयुक्तों (नगर

निगम, अलीगढ़ को छोड़कर) एवं अधिशासी अधिकारियों को तत्काल कार्यभार हस्तांतरित कर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

5. **निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।**
6. रिट याचिका सं0 सं0 67991/2011 में याची श्री आशुतोष बार्ष्णेय महापौर, नगर निगम, अलीगढ़।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
10. **बेब मास्टर** ,नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

17.12.11.

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।